


झारखण्ड सरकार,  
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (उद्यान प्रभाग)  
कार्यालय, जिला उद्यान पदाधिकारी, सिमडेगा।

आम सूचना

राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में "मीठी क्रांति" के तहत 'मधुमक्खी पालन' की योजना की स्वीकृति अधिकतम 80% अनुदान एवं कृषक अंशदान 20% पर प्रदान की गई है। योजना के अन्तर्गत मधुमक्खी पालन की तकनीकी जानकारी हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार के चिन्हित एवं नामित संस्था के द्वारा तीन दिवसीय अवासीय प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा तत्पश्चात प्रशिक्षित एवं चयनित कृषकों को मधुमक्खी पालन हेतु प्रति ईकाई 20 बक्सा, 20 छत्ता एवं एक 30 कि०लो०ग्रा० का कंटेनर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना अन्तर्गत जिला के सभी प्रखण्ड में कार्यान्वयन हेतु महिला मण्डल/सखी मण्डल/कृषक समूह को इस योजना में चयन में प्राथमिकता दी जायेगी। इच्छुक कृषक/कृषक समूह/महिला समूह/सखी मण्डल कार्यालय अवधि में दिनांक 28.01.2021 तक अपना आवेदन पंचायती राज व्यवस्था के तहत चयनित ग्राम पंचायत /मुखिया /ग्राम सभा/ वार्ड सदस्य/प्रमुख/ जिला परिषद् सदस्य से अनुशंसित कराकर जिला कृषि पदाधिकारी, सिमडेगा/जिला उद्यान पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

जिला हेतु प्राप्त लक्ष्य

क्र०	कार्य अवयव	भौतिक लक्ष्य (ईकाई)
1	मधुमक्खी बक्सा	200
2	मधुमक्खी छत्ता	200
3	कंटेनर (इम) 30 कि०लो०ग्रा	10

  
19/01/2021  
जिला उद्यान पदाधिकारी,  
सिमडेगा।